DAILY NEWS BULLETIN

LEADING HEALTH, POPULATION AND FAMILY WELFARE STORIES OF THE Day

Thursday **20260903**

.

Mental health must anchor public health

India stands at a defining moment in its journey towards the vision of Viksit Bharat 2047. Under the Healthcare for All pillar, the government has rightly prioritised strengthening Ayushman Bharat, expanding primary healthcare, reducing out-of-pocket expenditure, and promoting preventive care. Yet there is one element that cuts across all these ambitions and determines their success: mental health.

Mental health is not a niche concern. It influences educational attainment, workforce participation, social cohesion, and physical health outcomes. A healthier and more productive India cannot be built without placing mental well-being at the centre of public health.

Major implications

The scale of the challenge is substantial. Mental illness affects one in seven Indians, with nearly 200 million people living with a diagnosable mental health condition. The contribution of mental disorders to India's total disease burden has doubled over the past three decades. Yet the national treatment gap remains 84.5%, meaning that more than four out of five people who need care do not receive it. The reasons are well known. India has only 0.3 psychiatrists per 1,00,000 population, alongside significant shortages in clinical psychologists, psychiatric social workers, and psychiatric nurses. These shortages are the result of decades during which mental health received insufficient attention, both in India and globally.

Mental disorders significantly increase the risk of chronic diseases, while chronic diseases in turn increase the risk of mental illness. More than 60% of people attending primary care facilities have a diagnosable mental disorder. Rates of anxiety and depression are substantially higher among people living with diabetes, hypertension, tuberculosis, and HIV/AIDS. Ignoring mental health, therefore, undermines efforts to control non-communicable diseases and reduce healthcare expenditure.

Indu Bhushan

Founding CEO of India's National Health Authority and Ayushman Bharat

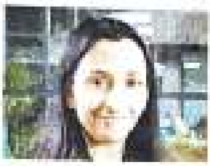

Anisha Padukone

CEO of The Live Love Laugh Foundation

If India is to become a truly developed nation by 2047, mental health must move from the margins of public policy to its centre

The economic implications are equally compelling. A 2025 modelling study by researchers from PGIMER and NIMHANS estimated that integrating universal depression screening into India's primary healthcare system could generate net savings of ₹291 billion to ₹482 billion annually, equivalent to as much as 0.32% of GDP. Mental health is not a social welfare issue alone – it is also a human capital investment and an economic growth strategy.

The encouraging news is that India has already built many of the foundations required for transformation. More than 1.73 lakh sub-centres and primary health centres have been converted into Ayushman Bharat Arogya Mandirs, with mental healthcare included among the essential service packages. The District Mental Health Programme now covers more than 90% of districts. Tele-MANAS, launched in 2022, has expanded across all States and Union Territories.

Three main priorities

The task now is not to start from scratch. It is to build on this foundation at scale. First, one must empower frontline health workers to become the backbone of community mental healthcare. India's one million ASHA workers represent the world's largest community health workforce. Evidence from Madhya Pradesh and other States demonstrates that, with appropriate training and supervision, ASHAs can successfully identify, support, and refer individuals with common mental disorders. Expanding this model through validated screening tools, digital learning platforms, and performance-linked incentives could expand access to care.

Second, India must invest more systematically in community-based care. Models such as Zimbabwe's Friendship Bench, Atmiyata in India, and programmes implemented by The Live Love Laugh Foundation demonstrate that trained community workers can bridge the gap between awareness and treatment, particularly in rural and underserved populations. These approaches improve access and reduce costs, and deserve wider adoption and funding. Third, the country must fully realise the promise of financial protection. Extending outpatient mental health benefits under the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana and strengthening the implementation of insurance parity as per the Mental Healthcare Act, 2017, would make mental healthcare affordable for millions who currently go without care.

If India is to become a truly developed nation by 2047, mental health must move from the margins of public policy to its centre.

payment uncertainty is making business economics difficult.

www.economictimes.com

Monsoon Illnesses & Flu Surge Lift Drug Demand

New Delhi: Monsoon illnesses and a rise in H1N1 cases are boosting demand for acute therapies and flu vaccines, with sales of anti-infective and antibacterials rising 12% month-on-month in July.

According to market research firm PharmaTrac, sales of anti-infectives rose to ₹2,359 crore in July 2026 from ₹2,107 crore in June, while those of antibacterials increased to ₹2,109 crore from ₹1,883 crore. Sales of both the segments were up 6% from July 2025.

Gastrointestinal medicine sales rose about 1.8% to ₹2,081 crore in July from ₹2,045 crore in June, reflecting a seasonal rise in waterborne and digestive illnesses, PharmaTrac data showed. "Certain therapies like antibacterials, cough and cold may have disease seasonality patterns," said Sheetal Sapale, vice president, commercial, at PharmaTrac. Anti-infective medicines include antivirals and antibacterials, or antibiotics, among others.

With H1N1 cases recording a more than sixfold increase compared to previous years and the usual monsoon fevers including dengue, typhoid, malaria and chikungunya already at seasonal highs, the demand for flu vaccines has also shot up. .

Manisha Mishra, vice president and lead, specialty pharma, at Tata 1mg, told **ET** that sales in August were nearly three times higher than a year earlier and more than doubled from July, leading to supply constraints in several cities.

—**Teena Thacker**

• WORDLY WISE
Everyone thinks they have the best dog. And none of them are wrong.
— *W R Purche*

13 crore gone, in a few months. A new solution for population problem – SIR

S Y QURAISHI

FOR DECADES, India worried about population explosion. Every Census brought alarming headlines. There were Five-Year Plans, family-planning programmes, red triangles, slogans and seminars on population stabilisation. Demographers warned us that Indians were multiplying too fast.

We need not have worried. The solution seems to have arrived from an entirely unexpected quarter: the Election Commission of India. The Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls appears capable of achieving in a few months what decades of population policy could not. Delhi had about 1.45 crore electors before the SIR. Its draft roll has come down to about 97.5 lakh — a fall of nearly 48 lakh, almost one-third. Maharashtra has gone from about 9.78 crore to 7.71 crore, leaving more than 2 crore names out of the draft. Karnataka, too, has seen more than a crore names excluded at the draft stage.

Across SIR's three phases, more than 13 crore names have reportedly been left out of draft rolls. Admittedly, these are not all final deletions. Claims and objections will restore many names. But why allow such technicalities to spoil a great national achievement?

If electoral-roll arithmetic is treated as demography, India's population problem may already be solving itself. Perhaps we are no longer 1.45 billion people. Perhaps we have quietly slipped to 1.2 billion. Another round or two of intensive revision and the much desired 1-billion mark may be within reach.

Think of the benefits. Water availability per capita will rise. Hospital beds per thousand population will improve. Housing shortages will decline. Teacher-pupil ratios will look healthier. Even per capita GDP can increase substantially without the inconvenience of increasing GDP. The Planning Commission — had it survived — might have wanted to study the model. There is, however, a serious question hidden here.

Electoral rolls are not prepared afresh once in a generation. They are supposed to be continuously updated. There are annual revisions, Booth Level Officers (BLOs), political-party agents and elaborate procedures for additions, deletions and corrections.

If this machinery has been functioning reasonably well, how do we suddenly discover that nearly one-third of Delhi's electorate requires exclusion from a draft roll, or that more than 2 crore names in Maharashtra have to disappear at one stroke?

Either the earlier rolls (with which EC conducted the 2024 general election) were astonishingly unreliable, or the present exercise requires an extraordinary explanation. Neither possibility is particularly reassuring.

We have seen before how massive exercises involving citizenship, identity and documentation can acquire a life of their own. The Assam NRC is an instructive example. After years of verification under Supreme Court supervision, enormous administrative effort and expenditure of about Rs 1,600 crore, the final list in 2019 excluded 19.06 lakh people.

The result, however, produced an unexpected political problem. Estimates widely circulated at the time suggested that a large proportion of those excluded were Bengali-speaking Hindus, rather than only Muslim migrants. NRC authorities never published an official religion-wise break-up. But the political dissatisfaction was unmistakable. The Assam government itself questioned the outcome and sought re-verification. Seven years later, the exercise remains in limbo.

> If this machinery has been functioning reasonably well, how do we suddenly discover that nearly one-third of Delhi's electorate requires exclusion from a draft roll, or that over 2 crore names in Maharashtra have to disappear?

There is an uncomfortable parallel with the SIR. Critics have suspected that the exercise would disproportionately affect Muslims, an allegation strongly rejected by the EC. But once a documentary net is cast across tens of millions of people, bureaucracy does not necessarily discriminate with the political precision that its critics or supporters may imagine. Large numbers of Hindus, too, find themselves caught in questions of residence, migration, documentation, spelling, identity and verification.

That was one lesson of the NRC. It may become a lesson of SIR as well. Administrative exercises have a dangerous tendency to begin with categories and end with human beings. The consequences here are especially serious because electoral registration is not just another entry in another government database. It determines whether a citizen can participate in the fundamental democratic act of choosing a government.

Of course, the electoral roll must be clean. Dead voters should be removed. Duplicate entries should disappear. Someone who has permanently shifted should not remain enrolled indefinitely at the old address. But accuracy has two sides. An inflated electoral roll is undesirable. An artificially depleted one is potentially far worse. A wrong inclusion can be challenged. A wrong exclusion may silence a citizen on polling day.

There is a larger principle: A person does not cease to exist because a BLO does not find him at home. Nor does citizenship evaporate because an old document cannot immediately be produced. The state maintains registers for people; people do not exist for the convenience of registers. Still, if we temporarily put these constitutional anxieties aside, the demographic possibilities of the SIR remain irresistible.

Why should the Registrar General and Census Commissioner undertake the laborious exercise of counting everybody in the next Census? The job could simply be handed over to the EC. After all, the machinery under both organisations is the same — district administration.

A traditional Census enumerator has the inconvenient habit of counting whoever lives in the house. The newer administrative imagination offers more productive possibilities: Absent? Population reduced by one. Shifted? Another reduction. Not found? Excellent progress towards stabilisation; form not submitted? The demographic dividend improves further. For decades, governments tried persuasion, contraception and public education to control population growth. Nobody thought of documentary verification.

The irony, however, should not obscure the real issue. The success of the SIR cannot be measured by how many names it deletes. A large number of deletions is not evidence of efficiency, just as a small number is not evidence of failure. The only meaningful test is whether every eligible citizen remains on the roll and every ineligible entry is removed — with due process, transparency and a genuine opportunity for correction.

NRC taught us that citizenship can become a prolonged documentary contest. SIR should not turn voting into one. Registers are necessary. Clean electoral rolls are indispensable. But people are more real than registers.

And if the forthcoming Census insists on telling us that India still has nearly one-and-a-half billion people, perhaps we know what to do. Order an SIR.

Quraishi is former CEC and author of An Undocumented Wonder: The Making of the Great Indian Election

AIIMS sets up inquiry panel over death of minor awaiting surgery

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Delhi on Wednesday said a committee has been constituted to look into the circumstances that led to the death of a 15-year-old girl at the medical facility on Tuesday. The statement follows allegations by the deceased's family, based in Rajasthan's Kota, that she died while awaiting heart surgery for 13 years. The family also demanded a probe into the death.

Mukesh Pariyani, the girl's father, said they first visited AIIMS in 2012 and the doctors had recommended surgery. However, he alleged that the hospital performed several tests but not the surgery.

"Following comprehensive evaluation, the treating team concluded in 2017 that corrective cardiac surgery was not feasible. The family was informed about the clinical assessment and possible prognosis," read a statement issued by AIIMS.

Maternity leave can't lead to loss of role or career prospects, says Delhi HC

Soibam Rocky Singh
NEW DELHI

The Delhi High Court has ruled that a woman returning from maternity leave at a private company is ordinarily entitled to resume her previous position and cannot be placed at a professional disadvantage by reducing her responsibilities, managerial authority or prospects of career advancement.

Justice Sachin Datta, in the August 31 judgment, held that the protection under Section 12 of the Maternity Benefit Act is not limited to safeguarding continuity of employment or wages.

The Court held that if a woman's previous post is no longer available for bona fide and demonstrable organisational reasons, she must be placed in a position as nearly equivalent as possible in terms of pay, grade, status, responsibilities, managerial authority and prospects of advancement.

The court said that a woman should not be at a professional disadvantage upon her return.

The court was dealing with a petition by chartered accountant Rakhi Bisht, who alleged that she was sidelined by a private company after returning from maternity leave. Ms. Bisht went on maternity leave in December 2023 while working as Manager, Accounting, and supervising a team.

Advocate Parul Singh, representing her, alleged that on her return, she was told that her earlier position was no longer available and was assigned to the Treasury department. She said that the new role was substantially inferior.

"In the present case, the petitioner [woman] does not seek to enforce any term of her employment contract; rather, she seeks to enforce Section 12 of the Maternity Benefit Act, 1961, which imposes an obligation upon every employer to whom the Act applies and which remains unaffected by the terms of the employment contract between the parties," the Court said. Justice Datta further held that a woman seeking an adjustment in her duties, working hours, workplace or role because of post-maternity circumstances should not be treated as having waived her statutory protection.

'आयुर्वेद दिवस की तारीख में छिपा है प्रकृति के संतुलन का विज्ञान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : आयुर्वेद दिवस के लिए 23 सितंबर की तारीख इसलिए तय की गई है, क्योंकि यह शरद विषुव के आसपास की तिथि है। इस समय दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है। आयुर्वेद के मूल दर्शन में संतुलन और समत्व को स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण आधार माना गया है। इसी अवधारणा को लोगों तक पहुंचाने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआइआइए) ने 11वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर विशेष डिजिटल संवाद श्रृंखला 'आयुर्वार्ता' शुरू की है।

'आयुर्वार्ता' की पहली कड़ी में 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के लिए निश्चित तिथि तय किए जाने के कारणों पर चर्चा की गई। संवाद में एआइआइए के निदेशक प्रो. (वैद्य) पीके प्रजापति और डीन पीएचडी प्रो. डा. महेश व्यास ने आयुर्वेद दिवस के इतिहास और इसके आयोजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी।' प्रो.

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में विशेष संवाद श्रृंखला आयुर्वार्ता में शामिल प्रो. (वैद्य) पीके प्रजापति और डीन पीएचडी प्रो. महेश व्यास • सौजन्य संस्थान

प्रजापति ने कहा कि 'आयुर्वार्ता' की आगामी कड़ियों में आयुर्वेद के वैज्ञानिक आधार, अनुसंधान, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, तकनीक एवं नवाचार, आधुनिक चिकित्सा के साथ समन्वय, औषधीय पौधे, निवारक स्वास्थ्य और आयुर्वेद के वैश्विक विस्तार जैसे विषयों पर विशेषज्ञों के साथ संवाद होगा।

आयुर्वेद में प्रकृति और शरीर के बीच संतुलन पर जोर : प्रो. महेश व्यास ने बताया कि 23 सितंबर शरद विषुव के आसपास पड़ता है। इस अवधि में दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। आयुर्वेद में शरीर और प्रकृति के बीच संतुलन को स्वस्थ जीवन के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। इसी विचार से इस तिथि को आयुर्वेद दिवस के लिए विशेष महत्व दिया गया है।

1.38 करोड़ के गहनों की लूट में फरार इनामी बदमाश गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : बीटा टू कोतवाली पुलिस ने 1.38 करोड़ रुपये के गहनों की लूट में फरार चल रहे 10 हजार रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने नोएडा ग्रेटर नोएडा के जीरो प्वाइंट पर व्यापारी को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पकड़े गए बदमाश की पहचान दिल्ली के थाना नजफगढ़ गांव नंगला डेरी के सुखबीर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपित बदमाश को दिल्ली के नजफगढ़ से धर दबोचा। पुलिस मामले का पर्दाफाश करते हुए गिरोह में शामिल पांच सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। आरोपित बदमाश फरार चल रहा था। पुलिस ने उसके खिलाफ 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।

गौरतलब है कि आगरा के एक व्यापारी का मुनीम और चालक दिल्ली से चांदी और सोने के आभूषण लेकर आगरा जा रहे थे। दो अगस्त की शाम यमुना एक्सप्रेसवे पर कार सवार चार बदमाश सोने व चांदी के आभूषण से भरा बैग लेकर फरार हो गए थे।

चुनौती दी है।(जासं)

की जरूरत कम होगी। इससे

पास जोड़ा जाएगा।

से तलाशी ली। दूसरे निदेशक पीठित

दस्तावेजों और अन्य रिकार्ड की से जांच की।

कार्निया की जरूरत व उपलब्धता के बीच अंतर बना नेत्रज्योति में बाधा

अनूप कुमार सिंह • जागरण

- देश को हर साल चाहिए एक लाख से अधिक कार्निया, पर उपलब्धता 65 से 70 हजार ही
- 2024-25 में एम्स को एक साल में 2167 कार्निया मिले, 1775 मरीजों को मिला प्रत्यारोपण

नई दिल्ली: किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद दान की गई आंखें किसी दूसरे के लिए दुनिया देखने का जरिया बन सकती हैं, यह जानकारी होने और सरकार के तमाम जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद देश में कार्निया की जरूरत और उपलब्धता के बीच अब भी बड़ा अंतर है। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि नेत्रदान बढ़ रहा है, देश में आई बैंक की संख्या भी बढ़ रही है पर, देश को जितने कार्निया की आवश्यकता है, उतने उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। यही अंतर हजारों मरीजों की नेत्रज्योति में बाधा बना हुआ है।

बढ़ रहा कार्निया संग्रह : केंद्र सरकार के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में 396 आई बैंक हैं। इनके माध्यम से 2022-23 में 62,370, 2023-24 में 66,434 और 2024-25 में 69,848 कार्निया एकत्र किए गए। यानी दो वर्षों में संग्रह में करीब 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लेकिन संग्रह की यह संख्या प्रत्यारोपण के लिए उपलब्ध कार्निया की वास्तविक संख्या नहीं है। दिल्ली स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की वार्षिक रिपोर्ट में देश में कार्नियल अंधता से प्रभावित लोगों और हर साल जुड़ने वाले नए मामलों का उल्लेख करते हुए प्रत्यारोपण के लिए वार्षिक एक लाख से अधिक कार्निया की आवश्यकता बताई गई है। यानी 2024-25 में एकत्र 69,848 कार्निया भी वार्षिक आवश्यकता से कहीं कम है। एम्स में ही राष्ट्रीय नेत्र बैंक को वर्ष 2025 में 2167 कार्निया प्राप्त हुए। इनमें से 1775 कार्निया अस्पताल कार्निया रिट्रीवल कार्यक्रम के तहत मिले। एम्स के अनुसार इस अवधि में कुल मिले कार्निया में से 1775 लोगों को नेत्रज्योति प्रदान की गई, यानी कार्निया उपयोग दर करीब 82 प्रतिशत रही। राष्ट्रीय नेत्र बैंक ने छह दशक (61 वर्ष) से अधिक समय में उसने 38 हजार से अधिक कार्निया एकत्र किए और 28 हजार से अधिक कार्नियल अंधत्व से पीड़ित मरीजों का दृष्टि पुनर्वास किया।

आई बैंक में कार्निया पहुंचना उसकी अंतिम मंजिल नहीं होता। नेत्रदान से प्राप्त टिश्यू की चिकित्सकीय जांच, संक्रमण की स्क्रीनिंग और गुणवत्ता का आकलन किया जाता है। इसके बाद ही तय होता है कि कार्निया ऑप्टिकल प्रत्यारोपण के लिए उपयुक्त है या नहीं। केंद्र सरकार भी स्पष्ट कर चुकी है कि दान की गई हर आंख प्रत्यारोपण के लिए उपयुक्त नहीं होती। कुछ टिश्यू चिकित्सा प्रशिक्षण और अनुसंधान जैसे अन्य उपयोगों में लिए जा सकते हैं।

असली कमी सिर्फ आंखों की नहीं, समय की भी

नेत्र विशेषज्ञों के अनुसार किसी मृत्यु के बाद परिवार का समय पर आई बैंक को सूचना देना उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना जीवन रहते नेत्रदान का संकल्प लेना। यदि परिवार यह मानकर सूचना ही नहीं देता कि उम्र अधिक थी, चश्मा लगता था या आंखों में बीमारी थी, तो संभावित दान का अवसर वहीं खत्म हो जाता है।

2019 के बाद स्वाइन फ्लू के इस वर्ष सर्वाधिक 3218 केस

जागरण संवाददाता नई दिल्ली: दिल्ली में स्वाइन फ्लू (एच1एन1) का संक्रमण इस वर्ष तेजी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 31 अगस्त तक दिल्ली में एच1एन1 के 3218 मामले सामने आ चुके हैं। 31 अगस्त को ही 164 नए केस दर्ज हुए। इस तरह इस वर्ष के मामले 2024 के पूरे वर्ष में सामने आए 3151 मामलों से अधिक हो गए हैं। हालांकि, वर्ष 2019 में 3627 मामले दर्ज हुए थे। लिहाजा 2026 में संक्रमण 2019 के बाद सबसे अधिक है। अगस्त के दूसरे पखवाड़े में संक्रमण की रफ्तार में तेजी देखी गई।

24 अगस्त को स्वाइन फ्लू के 258 मामले में सामने आए, 29 को 199। यह दोनों इस सीजन में एक दिन में सामने आए सर्वाधिक मामले रहे। इसके बाद 31 अगस्त को 164 नए मामले दर्ज हुए। दिल्ली के अस्पतालों में यहां के मरीजों के अलावा बाहर से इलाज कराने पहुंचे मरीजों के मामले भी सामने आए हैं। अगस्त में कई दिन यह आंकड़ा सौ से भी अधिक रहा। 20 अगस्त को इसके 114, 24 को 258, 26 को 138, 27 को 166, 29 को 199 व 31 को स्वाइन फ्लू के 164 नए मामले मिले।

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के अनुसार दिल्ली में एच1एन1 का साल-दर-साल आंकड़ा

वर्ष	मामले	मौतें
2019	3627	31
2020	412	0
2021	92	0
2022	442	0
2023	209	0
2024	3151	0
2025	229	0
2026	3218	0

लक्षण

- तेज या हल्का बुखार
- लगातार खांसी
- गले में खराश या दर्द
- नाक बहना या बंद होना
- शरीर व मांसपेशियों में दर्द
- सिरदर्द और थकान
- ठंड लगना या कंपकंपी
- गंभीर स्थिति में सांस लेने में परेशानी

सावधानी और बचाव

- बुखार होने पर दूसरे लोगों से उचित दूरी बनाकर रखें
- खांसते समय मुंह और नाक को ढककर रखें
- बार-बार हाथ धोते रहें
- आंख, नाक और मुंह को बार-बार छूने से बचें
- कमरे में हवा का आवागमन रखें
- बुजुर्ग और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है
- लक्षण बढ़ने पर तत्काल डाक्टर से जाकर मिलें

- भीड़ में जरूरत पड़ने पर मास्क पहनें
- साबुन से 20 सेकेंड हाथ धोएं
- पर्याप्त पानी पीते रहें
- पौष्टिक और संतुलित भोजन लें
- पर्याप्त नींद और आराम करें
- डाक्टर की सलाह पर ही जांच कराएं

टेक अपडेट

हेल्थ एप्स में क्या है खास
जानें जरूरी फीचर्स

गूगल हेल्थ, सैमसंग हेल्थ और एप्पल हेल्थ एप यूजर्स को हेल्थ डाटा समझने और मैनेज करने की सुविधा देते हैं। इनके फीचर्स को सही तरीके से कैसे उपयोग किया जा सकता है, आइए जानें...

[illegible]

गूगल हेल्थ एप

[illegible]

सैमसंग हेल्थ एप

[illegible]

एप्पल हेल्थ एप

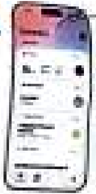

[illegible]

बच्चों के लिए सुरक्षित हो पाएगा इंटरनेट मीडिया!

मेटा के नए नियम

इंटरनेट मीडिया के नकारात्मक प्रभावों से बच्चों और किशोरों को बचाने के लिए मेटा ने कुछ बड़े बदलावों की घोषणा की है। इससे इंस्टाग्राम, फेसबुक के प्रयोग के तरीकों में कैसे होगा परिवर्तन, इनके दूरगामी प्रभावों और बच्चों की आनलाइन सुरक्षा की कवायदों पर चर्चा कर रहे हैं ब्रह्मानंद मिश्र

• फोटो: फ्रीपिक

20वीं सदी के नौवें दशक में स्वास्थ्य विशेषज्ञों, वकील, कार्यकर्ताओं के सिगरेट के आरोपों के चलते तंबाकू कंपनियों के खिलाफ अमेरिकी अदालतों में लंबी मुकदमेबाजी शुरू की गई थी। इसी का नतीजा हुआ कि 1998 में 'मास्टर सेटलमेंट एग्रीमेंट' हुआ। कुछ ऐसा ही मामला अब इंटरनेट मीडिया कंपनियों के खिलाफ देखने में भी आ रहा है। फेसबुक और इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी मेटा को लत लगाने वाले फीचर्स से बच्चों को हो रहे नुकसान का दोषी माना गया है। इसी को सेटल करने के लिए कंपनी अमेरिकी राज्यों को 1x अरब डालर देने पर सहमति भी हो गई है। यह इंटरनेट मीडिया इंडस्ट्री के लिए एक अहम मोड़ हो सकता है, जो रेगुलेटरी जांच से बची हुई है। इनफिनिट स्क्रालिंग, नोटिफिकेशन, एल्गोरिदमिक रिकमेंडेशन और लगातार चलने वाले वीडियो जैसे इंटरनेट मीडिया के फीचर्स लोगों को, खासकर किशोर यूजर्स को लंबे समय तक अपने आकर्षण में रखते हैं। इससे डिप्रेशन, एंग्जायटी, ईटिंग डिसआर्डर और खुद को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाएं होती हैं।

क्या इंटरनेट मीडिया में संभव है बदलाव: ज्यादातर इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों का मानना है कि टेक के इस्तेमाल व लत के बीच कोई साफ साइंटिफिक लिंक नहीं है। हालांकि, समझौते के चलते मेटा को अमेरिकी यूजर्स के लिए कुछ बड़े बदलावों के लिए बाध्य होना पड़ा है। मेटा उन फीचर्स को भी सीमित करेगा, जिससे बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

क्या है इन बदलावों के मायने: अभी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर 13 साल या उससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति अकाउंट खोल सकता है। 18 वर्ष से कम उम्र के यूजर्स को स्वतः 'टीन अकाउंट्स' में डाल दिया जाता है, जो डिफाल्ट तौर पर प्राइवेट होते हैं और कुछ नुकसानदायक कंटेंट को भी सीमित कर दिया जाता है। मेटा अब नए फीचर्स जोड़ रहा है।

समय की सीमा: टीनएजर्स इंस्टाग्राम और फेसबुक पर दिन में सिर्फ दो घंटे ही बिता पाएंगे। आधी रात से सुबह छह बजे के बीच ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। स्कूल के समय वाली सुबह आठ से दोपहर तीन बजे के बीच नोटिफिकेशंस बंद रहेंगे।

फीचर्स बंद करना: यूजर्स 'आटो प्ले' को बंद कर पाएंगे। अगले फोटो या वीडियो देखने के लिए टैप या स्वाइप करना होगा। कंपनी की मानें तो 60 मिनट और 90 मिनट के इस्तेमाल के बाद प्राम्प्ट दिखाई देंगे। कंपनी 'ब्यूटी' कांटेस्ट और एक्सट्रीम मेकअप जैसे फिल्टर्स को भी सीमित करेगी।

अतिरिक्त सुरक्षा उपाय: मेटा 'अजनबियों से अनचाहे संपर्क' के खिलाफ मजबूत सुरक्षा उपाय लागू करेगा। हालांकि, ये सुरक्षा उपाय व प्रतिबंध कैसे काम करेंगे, यह स्पष्ट नहीं है। पैरेंट्स देख पाएंगे कि बच्चे ऐप्स पर कितना समय बिता रहे हैं, वे क्या सर्च कर रहे हैं। सक्रिय होने पर उन्हें अलर्ट किया जाएगा।

उम्र की पुष्टि: मेटा इसके लिए दूसरा विकसित कर रहा है। ओपनएआइ ने भी 'चैटजीपीटी फार टीन्स' की घोषणा की है, जो सुरक्षा सुविधाओं वाला चैटबाट का नया मोड है।

कायम रहेंगी मूल समस्याएं: रिकमेंडेशन एल्गोरिदम व स्क्रालिंग को बढ़ावा देने वाले फीचर्स पर नियंत्रण कैसे होगा, यह साफ नहीं है। नए नियमों में समय की सीमा, रात के समय इस्तेमाल और सुरक्षा कंट्रोल पर जोर तो है, पर रिकमेंडेशन सिस्टम को लेकर स्पष्टता नहीं है। टीनएजर्स उन दो घंटों के दौरान क्या देखते हैं, यह भी समझना उतना ही महत्वपूर्ण है। ये शर्तें अभी सिर्फ अमेरिका में लागू होंगी, जबकि मेटा की पहुंच व नुकसान पहुंचाने की क्षमता पूरी दुनिया में है। जिन देशों में नियमन सख्त नहीं हैं, वहां जोखिम बना रहेगा।

कैसे जोखिम छिपे हैं इंटरनेट मीडिया में: असल खतरा बुनियादी बिजनेस माडल में है, चाहे वह लत की शक्ल में हो या जानबूझकर गलत जानकारी के फैलाव में। लोगों को ट्रैक व मानिटर करना, इनपुट्स डाटा से प्रोफाइल बनाना और उसे विज्ञापनों को बेचना, आज लगभग हर इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म की आमदनी का हिस्सा है। ये सभी जवाबदेही से मुक्त हैं, जिस पर फिलहाल लगाम लगाने की जरूरत है।

आर्थिक समीक्षा 2025–26 में डिजिटल लत को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बताया गया है। प्लेटफार्म ऐसे एल्गोरिदम बनाते हैं जो आटो-प्ले और इनफिनिट स्क्राल जैसे फीचर के जरिये 15-24 साल के युवाओं की मानसिक कमजोरियों को निशाना बनाते हैं।

5 घंटे औसतन समय बिताते हैं भारतीय युवा स्मार्टफोन पर, सालाना हजारों घंटे फोन पर जाया कर देते हैं भारतीय यूजर

15 से 24 वर्ष के युवा लत और गेमिंग से जुड़ी समस्याओं के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं।

57% बच्चे (14-16 वर्ष) पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करते हैं फोन, एनुअल स्टेटस आफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार।

76% बच्चे इंटरनेट मीडिया के लिए फोन का करते हैं इस्तेमाल।

यही है सकारात्मक बदलाव की उम्मीद

जसप्रीत बिंद्रा
सह-संस्थापक एवं सीईओ, एआइ एंड बियांड

नाइट कर्फ्यू, ब्रेक लेने के लिए प्राम्प्ट और एल्गोरिदम-आधारित फीड से बाहर निकलने का विकल्प देने जैसे उपाय मेटा का उत्साहजनक कदम है।

पहले के वादों के उलट, यह एक अधिक गंभीर और व्यवस्थित प्रतिबद्धता लगती है। ऐसा लग रहा है कि यह महज एक घोषणा भर नहीं है जो समय के साथ गायब हो जाएगी। यह सही है कि कुछ फीचरों के जरिये रातों-रात सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, लेकिन यह फैसला महत्वपूर्ण है। यह सकारात्मक बदलाव की शुरुआत करता है। अगर स्वतंत्र ऑडिट से यह स्पष्ट होता है कि वे तुरंत अपने वादे पूरे करते हैं, तो ऐसे मानक बनाए जा सकते हैं, जो हर प्लेटफार्म को बेहतर बनाने में उपयोगी साबित होंगे। इसे अहम मोड़ के तौर पर देख सकते हैं, इंडस्ट्री ने आखिरकार सिर्फ एंगेजमेंट के बजाय लोगों की भलाई को ध्यान में रखकर डिजाइन करना शुरू किया है।

बच्चों की सुरक्षा के लिए भारत की तैयारी

भारतीय उपमहाद्वीप में साइबर-बुलिंग से कई दुखद घटनाएं हुई हैं। इसमें अक्सर लड़कियों को टारगेट किया जाता है। वहीं, पोर्नोग्राफिक कंटेंट से कट्टरपंथी सोच का व्यापक इकोसिस्टम विकसित हुआ है। हालांकि, भारत पूरी तरह से चुप नहीं है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) एक्ट, 2023 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के किसी व्यक्ति को बच्चा माना जाता है और डाटा प्रोसेसिंग से पहले माता-पिता की 'वेरिफिएबल सहमति' जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर प्लेटफार्मों पर करोड़ों रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इसे लागू करने में मुश्किलें भी हैं। उम्र की पुष्टि करना थोड़ा मुश्किल काम है। यह एक्ट डाटा प्राइवेसी की बात तो करता है, लेकिन यह डिजिटल प्लेटफार्म के 'लत लगाने वाले आर्किटेक्चर', जैसे एल्गोरिदम-आधारित फीड और नोटिफिकेशन को रेगुलेट नहीं करता है, जिससे इसके डिजाइन का बड़ा सवाल अनसुलझा रह जाता है।

लेख विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें।

नवभारत टाइम्स • विचार

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 3 सितंबर 2026

जब हममें से आधी आबादी को पीछे रखा जाएगा, तब हम कभी सफल नहीं हो सकते। - *मलाला यूसुफजई*

मां से भेदभाव क्यों

मातृत्व अवकाश से जुड़ा दिल्ली हाई कोर्ट का एक हालिया फैसला उस समस्या को संबोधित करता है, जिसके कारण महिलाओं को अक्सर मां बनने की कीमत अपने करियर में चुकानी पड़ती है। अदालती आदेश से साफ है कि मैटरनिटी लीव और उसके बाद वही वेतन व पद ही काफी नहीं है। सम्मान और आगे बढ़ने के मौके भी बराबर मिलने चाहिए।

असली मकसद । यह केस एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से जुड़ा है। छुट्टी पर जाने से पहले वह मैनेजर पद पर थीं। आरोपों के मुताबिक, जब वह वापस लौटीं तो उनका ट्रांसफर एक दूसरे डिपार्टमेंट में कर दिया गया। वहां न पहले की तरह जिम्मेदारी थी और न काम। कोर्ट ने कंपनी की दलीलों को ठुकराते हुए साफ किया कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, 1961 केवल मातृत्व अवकाश के दौरान महिला को नौकरी से निकाले जाने से सुरक्षा नहीं देता- यह गर्भावस्था या अवकाश के कारण सेवा की शर्तों में उन बदलावों से भी बचाता है, जिनसे महिला को करियर में नुकसान हो सकता है।

मैटरनिटी लीव पर फैसला

कानून का दायरा । अदालत का फैसला उन भेदभावों को भी कानून के दायरे में लेकर आता है, जिन्हें आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जरूरी नहीं है कि असमानता का व्यवहार हमेशा स्पष्ट रूप से दिखाई ही दे। कार्यस्थल पर जाने-अनजाने ऐसी परिस्थितियां बनाई जा सकती हैं, जिनसे कोई महिला असहज महसूस करे, जैसा कि इस केस में हुआ। फिर, पीड़ित महिला की शिकायत थी कि कंपनी में क्रेच सुविधा नहीं है। यह एक और गंभीर समस्या है। पिछले दिनों श्रम मंत्रालय ने संसद में बताया था कि कार्यस्थलों पर क्रेच की व्यवस्था और उसके पालन का कोई केंद्रीय डेटा या व्यापक ऑडिट नहीं है। यानी कानून के बावजूद यह साफ नहीं है कि कितने संस्थान इसका पालन कर रहे हैं।

देश की जरूरत । आज महिलाओं का वर्कफोर्स में शामिल होना देश की बढ़ती इकॉनमी की भी जरूरत है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 2023-24 में 41.7% थी। पिछले दशक के मुकाबले आंकड़े बेहतर जरूर हुए हैं, पर विकसित मुल्कों के सामने अब भी कम है। एक स्टडी के मुताबिक, भारत इस गैप को भर देता है तो अर्थव्यवस्था में 700 अरब डॉलर से लेकर 1.4 ट्रिलियन डॉलर तक जुड़ सकते हैं।

समर्थन चाहिए । महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए उन्हें काम का बेहतर माहौल और बराबर अधिकार देने होंगे। मां बनना जीवन का सबसे अनमोल अनुभव है। इससे गुजरने के बाद कोई महिला और भी मजबूत होकर उभरती है। घर-बाहर की दोहरी जिम्मेदारी उठाने के कारण जरूरत है कि समाज भी उनके समर्थन में खड़ा हो।

गुस्ताखी माफ

व्यंग्य कहां है?

रबी सीजन में गन्ने की फसल आने ... को फायदा नहीं मिला। ... भी किसानों ...

RML अस्पताल में शुरू हुई ऑन्कोलॉजी OPD

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

हर मंगलवार दोपहर 2 से 4 बजे तक मिलेगी सेवा

राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ऑन्कोलॉजी ओपीडी सेवा शुरू की गई है। बुधवार को अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. विवेक दीवान ने इसका उद्घाटन किया। इससे अब अस्पताल में कैंसर मरीजों को समय पर और आसानी से विशेषज्ञ चिकित्सा भी उपलब्ध होगी।

हर मंगलवार लगेगी ओपीडी: ऑन्कोलॉजी ओपीडी हर मंगलवार दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। मरीज एसएस-ओपीडी के कमरा नंबर 330 में इस सेवा का लाभ ले सकेंगे। ओपीडी का संचालन डॉ. गुरमीत कौर करेंगी। जानकारी के लिए, यहां कैंसर मरीजों के लिए ओपीडी के साथ पैलिएटिव केयर सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। यह सेवाएं डॉ. शिवप्रिया, डॉ. महिमा और डॉ. शायक द्वारा दी जाएंगी। इससे उन मरीजों को भी जरूरी देखभाल और सहयोग मिल सकेगा, जिन्हें बीमारी के दौरान लक्षणों और अन्य परेशानियों से राहत की जरूरत होती है। ओपीडी के उद्घाटन के मौके पर अडिशनल मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. डी.एस. चौहान, डॉ. आर.के. मोदी, डॉ. संतोष चौहान, डॉ. कौशल त्यागी समेत अस्पताल के अन्य वरिष्ठ डॉक्टर और फैकल्टी सदस्य भी मौजूद रहे।

अस्पताल प्रशासन का कहना है कि आरएमएल अस्पताल में अलग ऑन्कोलॉजी ओपीडी शुरू होने से मरीजों को अस्पताल में ही कैंसर से जुड़ी विशेषज्ञ सेवाओं तक पहुंच का एक अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।

मातृत्व के बाद नौकरी में भेदभाव नहीं: HC

HC के आदेश पर कंपनी को देना होगा निजी याचिकाकर्ता को 10 लाख का मुआवज़ा

▪ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

AI Image

दिल्ली हाई कोर्ट ने मातृत्व और कामकाजी महिलाओं के अधिकारों पर एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मां बनने को किसी महिला के पेशेवर नुकसान या वर्कप्लेस (काम वाली जगह) पर अपमान का आधार नहीं बनाया जा सकता।

हाई कोर्ट ने एक निजी नियोक्ता को चार्टर्ड अकाउंटेंट राखी बिष्ट को 10 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया। इसके अलावा 1.5 लाख मुकदमा खर्च भी देने को कहा गया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह छह महीने के अंदर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 के तहत जरूरी नियम या योजना बनाए। इसका मकसद मैटरनिटी के बाद काम पर लौटने वाली महिलाओं के अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

31 अगस्त को सुनाए गए फैसले में जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि मैटरनिटी लीव के बाद काम पर "लौटने वाली महिला को उसकी पुरानी पोस्ट या उसके समकक्ष भूमिका मिलनी चाहिए। केवल वेतन और पदनाम बचाए रखना पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने कहा कि समान भूमिका का मतलब समान वेतन, काम का दर्जा, जिम्मेदारियां और सुपरवाइजरी अधिकार भी हैं। कर्मचारी के करियर की संभावनाएं भी सुरक्षित रहनी चाहिए।

राखी बिष्ट CA हैं। उनके पास करीब 14 साल का पेशेवर अनुभव है। मैटरनिटी लीव से पहले वह ट्रेजरी विभाग में मैनेजर थीं। लीव के दौरान उनकी पुरानी पोस्ट पर दूसरे कर्मचारी को प्रमोट कर दिया गया। बिष्ट के लौटने पर उन्हें कम महत्व वाली जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। कोर्ट के अनुसार, उनकी भूमिका व्यावहारिक रूप से क्लर्क स्तर के काम तक सीमित कर दी गई।

जस्टिस दत्ता ने नियोक्ता (employer) के रवैये पर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के साथ मानो "स्पेयर कैपेसिटी" की तरह व्यवहार किया गया। उन्हें वहां भेज दिया गया, जहां कोई अन्य साथी कर्मी उन्हें लेने के लिए तैयार था। नियोक्ता ने दलील दी थी कि बिष्ट का वेतन और पदनाम नहीं बदला गया। इसलिए मैटरनिटी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की सुरक्षा सिर्फ नौकरी से निकाले जाने या वेतन घटाने तक सीमित नहीं है। "सेवा की शर्तों" में काम का दर्जा, रिपोर्टिंग हायरार्की और सार्थक जिम्मेदारियां भी शामिल हैं।

कोर्ट ने कहा कि गर्भावस्था और मातृत्व संरक्षित स्थितियां हैं। ये संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 से जुड़े हैं।

अंडे हुए महंगे, 48% परिवारों ने कम की खरीदारी

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

देश में अंडों की बढ़ती कीमत का असर अब लोगों की खरीदारी पर भी पड़ रहा है। लोकल सर्कल्स के सर्वे के मुताबिक, अंडे खरीदने वाले 48 प्रतिशत परिवारों ने कीमत बढ़ने के बाद इसकी मात्रा या खरीद की आवृत्ति कम कर दी है। वहीं 10 प्रतिशत लोगों ने सस्ते विकल्प या दूसरे स्रोतों से अंडे खरीदना शुरू किया है।

सर्वे में शामिल 62 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि पिछले छह महीने में अंडों की कीमत 10 से 50 प्रतिशत तक बढ़ी है। इनमें 31 प्रतिशत ने 10-25 प्रतिशत और इतने ही लोगों ने 25-50 प्रतिशत तक कीमत बढ़ने की बात कही। 22 प्रतिशत ने 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी बताई। कुल 84 प्रतिशत लोगों ने किसी न किसी स्तर पर कीमत बढ़ने की बात कही।

AI Image

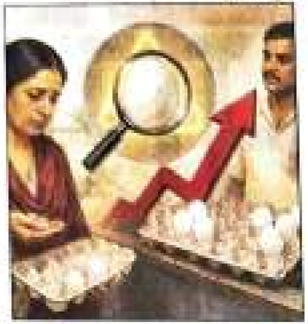

अंडों की बढ़ती कीमत के पीछे पोल्ट्री फीड की लागत को बड़ी वजह माना जा रहा है। अंडा उत्पादन की लागत में फीड की हिस्सेदारी करीब 65-70 प्रतिशत है। मक्के की कीमत बढ़ने से भी पोल्ट्री उद्योग पर दबाव बढ़ा। मक्के का इस्तेमाल एथेनॉल उत्पादन में बढ़ने से इसकी उपलब्धता और कीमत को लेकर चिंता जताई जा रही है।

सर्वे की मुख्य बातें...

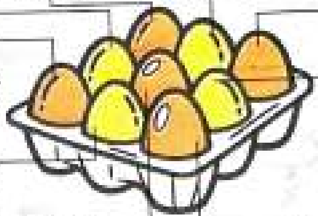

31% कीमत 10-25% बढ़ी

22% कीमत 10% तक बढ़ी

48% कीमत बढ़ने के बाद खरीद की मात्रा/आवृत्ति घटाई

10% सस्ते विकल्प या दूसरे स्रोत अपनाए

31% कीमत 25-50% बढ़ी

37% पहले जितनी मात्रा में खरीद जारी रखी

70% अंडों में मिलावट को लेकर बेहद चिंतित

20% अंडों में मिलावट को लेकर कुछ हद तक चिंतित

90% कुल मिलाकर मिलावट को लेकर चिंतित

अंडों की बढ़ती कीमत के पीछे पोल्ट्री फीड की लागत को बड़ी वजह माना जा रहा है। अंडा उत्पादन की लागत में फीड की हिस्सेदारी करीब 65-70% है।

अंडों में मिलावट पर कई परिवार चिंतित

इस बीच अंडों की गुणवत्ता को लेकर भी लोगों की चिंता सामने आई। सर्वे में 70 प्रतिशत परिवारों ने अंडों में मिलावट को लेकर खुद को बेहद चिंतित बताया। 20 प्रतिशत कुछ हद तक चिंतित थे। यानी कुल 90 प्रतिशत उपभोक्ता चिंतित दिखे।

दिसंबर 2025 में एक उपभोक्ता संगठन की ओर से कराए गए लैब टेस्ट में एक ब्रैंडेड अंडे के सैंपल में नाइट्रोफ्यूरान मेटाबोलाइट्स के अंश मिलने की रिपोर्ट के बाद FSSAI ने देशभर में अंडों की निगरानी और जांच के निर्देश दिए थे। बाद में FSSAI ने स्पष्ट किया था कि अंडे सुरक्षित हैं और इन्हें कैंसर से जोड़ने वाले दावे वैज्ञानिक रूप से सही नहीं हैं।

30 साल के बाद देश की आधी आबादी को लगाना पड़ेगा चश्मा

10 साल की उम्र से ही खराब होने लगी आंखें

हिमांशु अरविंद मिश्र

नई दिल्ली। मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप पर बढ़ता समय आंखें खराब कर रहा है। 10 से 35 साल की उम्र में आंखों की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं और अगले 30 साल में देश की करीब आधी आबादी को चश्मे की जरूरत पड़ सकती है।

एम्स की नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. नम्रता शर्मा की स्टडी में ये सामने आया है। डॉ. शर्मा ने बताया कि आज की डिजिटल जिंदगी में बच्चे और युवा लंबे समय तक स्क्रीन के सामने रहते हैं। बच्चों का बाहर खेलना लगभग कम हो गया है, जबकि युवा पढ़ाई और काम के लिए लगातार मोबाइल या लैपटॉप देखते रहते हैं। साथ ही क्रिकेट व अन्य खेलों को सीधे टीवी पर देख रहे हैं। इसका असर सीधे आंखों पर पड़ रहा है।

युवाओं में आंखों के सूखेपन की समस्या सबसे ज्यादा

डॉ. शर्मा के मुताबिक, बच्चों में जहां कम उम्र में ही मायोपिया की समस्या बढ़ रही है, वहीं युवाओं में आंखों में सूखापन सबसे बड़ी परेशानी बनकर सामने आ रहा है। पिछले एक दशक की तुलना में ऐसे मामले करीब 40 फीसदी तक बढ़े हैं। आंखों में सूखापन वाले मरीजों की संख्या में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि स्क्रीन को लगातार देखते समय हमारी पलकें कम झपकती हैं। इससे आंख के ऊपर बनी आंसुओं की पतली परत बार-बार टूटती है।

7 टन (कुल क्षमता लगभग 10 टन) अत्यधिक

सरकार ने सभी आईआईटी से पूछा-छात्रों की मेंटल वेलनेस के लिए क्या कदम उठाए

मंडी के छात्र की आत्महत्या ने बढ़ाई चिंता, शिक्षकों को दी जा रही ट्रेनिंग

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिग्गज व पुराने आईआईटी दिल्ली का मामला अभी गरमाया है, इसी बीच नए जमाने के आईआईटी मंडी के वरिष्ठ छात्र ने मानसिक तनाव के बाद अपने जीवन को समाप्त कर लिया। ऐसे में केंद्र सरकार की चिंता बढ़ गई है। दिग्गज प्रौद्योगिकी संस्थानों में आत्महत्या के बढ़ते आंकड़ों पर सरकार ने आईआईटी मंडी समेत सभी आईआईटी से रिपोर्ट तलब की है। इसमें पूछा है कि छात्रों का तनाव दूर करने पर उन्होंने क्या-क्या ठोस कदम उठाए हैं।

आईआईटी मंडी का छात्र मानसिक तनाव में था और शिक्षक पता लगाने में नाकाम रहे। क्योंकि, नए सत्र को शुरू हुए डेढ़ महीना हुआ है और छह

मौत हो चुकी हैं। सभी कैंपस में मेंटल वेलनेस पर काम करना अनिवार्य है। आईआईटी और एनआईटी कैंपस में छात्रों को तनाव से रोकने के लिए शिक्षकों को मेंटल वेलनेस की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक, नए आईआईटी में छात्र और शिक्षकों के बीच दूरियां नहीं थी। क्योंकि छोटा कैंपस, दूरदराज के इलाकों में बने कैंपस में छात्रों की संख्या कम होने के कारण सभी एक-दूसरे से जुड़े रहते थे। जबकि, बड़े और पुराने आईआईटी में छात्रों की

भाषा, जाति, आर्थिक और घरेलू कारण बड़ी दिक्कत

सुप्रीम कोर्ट की टॉस्क फोर्स की प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक, प्रौद्योगिकी संस्थानों में अंग्रेजी भाषा में दिक्कत, आर्थिक और घरेलू तनाव का बड़ा कारण है। इससे, ग्रामीण व वचिंत वर्ग के छात्रों में आत्मविश्वास कम होता है। वे कैंपस में खुद को अजनबी महूसस करते हैं। इससे कक्षाओं में पिछड़ने लगते हैं।

संख्या अधिक और अत्यधिक रिसर्च प्रेशर के कारण शिक्षक हर छात्र की गतिविधि पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन इस मामले में पुरानी सभी रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। इसीलिए, सभी आईआईटी से फिर रिपोर्ट मांगी है। ताकि कमियों के आधार पर सुधार किया जा सके।

महिला कर्मचारियों के हक में दिल्ली हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

मातृत्व अवकाश के बाद महिला को पुराना पद देना जरूरी...प्रमोशन भी

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि मातृत्व अवकाश (मैटरनिटी लीव) के कारण महिला कर्मचारियों को पदोन्नति, जिम्मेदारियों या करियर के अवसरों से वंचित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा, छुट्टी के बाद लौटने वाली महिला को सामान्यतः वही पुराना पद मिलना चाहिए।

यदि वह पद उपलब्ध न हो, तो वेतन, ग्रेड, और पदोन्नति की संभावनाओं के मामले में बिल्कुल समान या समकक्ष पद दिया जाना चाहिए। मातृत्व अवकाश के आधार पर अधिकारों या ओहदे में कमी को भेदभावपूर्ण माना जाएगा। कोर्ट ने साफ किया है कि मातृत्व सुरक्षा केवल नौकरी या वेतन बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि करियर में उन्नति का अधिकार भी सुरक्षित रखती है। जस्टिस सचिन दत्ता ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की याचिका पर यह फैसला सुनाया। महिला मैनेजर-अकाउंटिंग के पद पर काम करती थीं। मैटरनिटी लीव पर जाने के बाद लौटने पर उन्हें ट्रेजरी डिपार्टमेंट में काम सौंप दिया गया। उनकी पुरानी जगह पर किसी और कर्मचारी को बैठा दिया गया। एजेंसी

अवकाश से लौटने पर नहीं होना चाहिए भेदभाव

कोर्ट ने साफ कहा कि मैटरनिटी लीव से लौटने वाली महिला को आम तौर पर उसी पद पर वापस लाया जाना चाहिए, जिस पर वह छुट्टी पर जाने से पहले थी। अगर सही संगठनात्मक कारणों से वह पद उपलब्ध न हो, तो उसे वेतन, ग्रेड, स्टेटस, जिम्मेदारियां, मैनेजर के अधिकार और आगे बढ़ने के मौकों के मामले में जितना संभव हो उसी के बराबर पद दिया जाना चाहिए।

- **महिला अपनी सुविधानुसार काम, काम के घंटे, जगह में बदलाव की हकदार :** कोर्ट ने कहा, महिला मैटरनिटी के बाद अपनी हालत को देखते हुए काम, काम के घंटे, जगह या काम करने के तरीके में बदलाव या दूसरी भूमिका मांग सकती है। ऐसी हर मांग पर सही तरीके से विचार किया जाएगा।

खून को भी अब जवान बनाएगी दवा, दूर होगा बुढ़ापा

अमेरिकी लैब के 1 जेनरेशन इंजेक्शन पर नजर, दो पुरानी दवाओं से तैयार

सैन फ्रांसिस्को/बोस्टन। बिना खून बदले बुढ़ापे की रफ्तार थामने का दावा किया गया है। अमेरिकी स्टार्टअप जनरेशन लैब का कहना है कि इसके 1 जेनरेशन इंजेक्शन में दो पहले से स्वीकृत दवाओं का मिश्रण है। यह खून में उम्र बढ़ने से जुड़े कारकों को निष्क्रिय कर कोशिकाओं की मरम्मत में मदद कर सकता है।

कंपनी अब 100 से ज्यादा लोगों पर इसका परीक्षण करने की तैयारी में है। इंजेक्शन लेने वाले कुछ लोगों ने मानसिक स्पष्टता, ऊर्जा, आंखों की रोशनी और जोड़ों के दर्द में सुधार महसूस होने का दावा किया है। कंपनी ने इंजेक्शन में इस्तेमाल दोनों दवाओं के नाम भी अभी गुप्त रखे हैं। इस शोध के पीछे वैज्ञानिक इरिना कॉनबॉय का वर्षों पुराना काम है। 2005 में उनके चूहों पर प्रयोग में जवान रक्त के संपर्क से बूढ़े चूहों के कुछ ऊतकों में सुधार देखा गया था। बाद के प्रयोगों में जवान खून के बिना भी बूढ़े प्लाज्मा में बदलाव से ऐसे प्रभाव मिले। एजेंसी

इंसानी परीक्षण पर विशेषज्ञों की नजर : विशेषज्ञों की नजर अब इंसानी परीक्षण पर है। अभी यह साबित नहीं हुआ है कि इंजेक्शन इंसानों में बुढ़ापा रोक सकता है या लंबे समय तक सुरक्षित है। एजेंसीक्यों खास है प्रयोग बुढ़ापे का कारण सिर्फ उम्र नहीं, बल्कि खून में बदलता रासायनिक वातावरण भी हो सकता है। इसी विचार पर यह उपचार विकसित किया जा रहा है।

- **सबसे बड़ा सवाल :** इंजेक्शन में कौन-सी दो दवाएं हैं, यह अभी सार्वजनिक नहीं है। बड़े नियंत्रित परीक्षण और वैज्ञानिक समीक्षा के बाद ही इसके असर का पता चलेगा।

पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री से आगे